खट्टर सरकार की छत्र-छाया में सैनिक विहार सोसायटी की खुली लूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) ग्रेटर फ़रीदाबाद के सेक्टर 88 में वर्ष 2005 में सैनिक विहार नामक रिहायशी सोसायटी बना कर सहकारी विभाग में रजिस्टर कराई गई थी। सरकारी शर्तों के अनुसार निश्चित मात्रा में ज़मीन की खरीदारी शुरू की गई। सोसायटी ने 49.35 एकड़ जमीन खरीद ली। इसमें से चार एकड़ जमीन सड़क में निकल गई। शेष बची 45.35 एकड़।

दूसरी ओर सोसायटी प्रबन्धन लगातार सदस्यों की संख्या बढाता जा रहा था। क्योंकि हर नये बनने वाले सदस्य से लाखों रुपये मिलते थे। परिणामस्वरूप सदस्यों की संख्या हो गई 702। उपलब्ध जमीन में से इन सभी सदस्यों को प्लॉट दे पाना सम्भव नहीं था। लिहाजा योजना बनाई गई कि इस जमीन पर फ्लैट बनाकर सदस्यों को आवंटित किये जायें। अब फ्लैट कौन बनाये, इसके लिये टीडीआई नामक बिल्डर कंपनी से सांठ-गांठ की गई।

पूरी सेटिंग करने के बाद सदस्यों के सामने 27 जुलाई 2014 को एक प्रस्ताव रखा गया। इसके अनुसार टीडीआई कंपनी 702 फ्लैट बना कर सदस्यों को आवंटित करेगी। ये फ्लैट मात्र 22 एकड़ जमीन पर बनाये जाने थे। इनको बनाने की पूरी लागत टीडीआई कंपनी सदस्यों से वसूलेगी। इसके बदले सोसायटी ने बिल्डर कंपनी को शेष 23.35 एकड़ जमीन दे दी। पूरी सोसायटी के भूखंड से निकलने वाला 6000 वर्ग गज कमर्शियल क्षेत्र भी बिल्डर को मिलेगा। इस सौदे के मुताबिक ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क), आईडीसी (भीतरी विकास शुल्क) पर खर्च होने वाला 23 करोड़ भी सोसायटी भरेगी।

अब सवाल आता है कि बिल्डर टीडीआई कंपनी 23.35 एकड़ ज़मीन व 6000 वर्ग गज़ कमर्शियल क्षेत्र लेकर बदले में क्या देगी? सौदे के मुताबिक बिल्डर कंपनी लाइसेंस फ़ीस, सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) और स्क्रीनिंग फीस भरेगी। इन तीनों कामों के लिये बिल्डर को केवल 8 करोड़ 86 लाख खर्च करना पड़ेगा। अब समझिये सारा गणित। बिल्डर को दी गई 23.35 एकड़ जमीन की कीमत 2014 में आंकी गई थी 94 करोड़। सोसायटी की कुल जमीन 45.35 एकड़ में से 6000 कमर्शियल घोषित की गई थी। जिसका बाजार भाव 25 करोड़ आंका गया था। सुधी पाठक समझ गये होंगे टीडीआई कंपनी का खेल, इसे 94 करोड़ की 23.35 एकड़ ज़मीन तथा 25 करोड़ की 6000 वर्ग गज कमर्शियल जमीन, यानी कि कुल 119 करोड़ का माल मिल गया। जिसमें से ऊपर बताया गया लाइसेंस फ़ीस, सीएलयू तथा स्क्रीनिंग फीस के 8 करोड़ 86 लाख खर्च करेगा। कुल मिला कर मोटा-मोटा 110 करोड़ का मुनाफ़ा। जाहिर है कि इतना बड़ा मुनाफ़ा कोई बिल्डर अकेला नहीं हड़प सकता। इसमें सारा

सैनिक विहार में फ्लैट स्कैंडल

सहकारिता विभाग तथा सोसायटी के चुने हुए डायरेक्टरों का शामिल होना अनिवार्य है। गौरतलब है कि टीडीआई से समझौते का उक्त प्रस्ताव रजिस्ट्रार कॉरपोरेटिव सोसायटीज (आरसीएस), सीआर राणा, आईएएस को स्वीकृति हेतु भेजा गया तो उन्होंने 31 अक्टूबर 2014 को इस पर 12 एतराज लगा कर प्रस्ताव को वापस भेज दिया। उन्हीं के आदेश पर जमीन की बाजार कीमत का आकलन कराया गया था। जाहिर है उन्हें इस प्रस्तावित सौदे में बड़ा घोटाला नजर आ गया था। इसके बावजूद गुड़गाव में तैनात डिप्टी रजिस्ट्रार व फ़रीदाबाद में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार आदि ने उनके उक्त पत्र को दबा दिया। विदित है कि आरसीएस तो साल दो साल के लिये आते-जाते रहते हैं जबकी डीआर व एआर स्थाई रूप से महकमे में बने रहते हैं।

सोसायटी के कुछ चुने हुए ईमानदार डायरेक्टरों ने इस घोटाले के विरुद्ध आरसीएस तथा उनके वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार कई बार शिकायतें की। बदले में उन्हें सुनवाई के लिये बार-बार चंडीगढ़ बुलवाया जाता है तथा सुनवाई की बजाय उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है ताकि वे थक-हार कर बैठ जायें। दूसरी ओर घोटालेबाज अधिकारियों ने उन 16 सदस्यों के सोसायटी से नाम काट दिये हैं जिन्होंने किस्तों के नाम पर इन घोटालेबाजों को और रकम देने से इनकार कर दिया। इन 16 रिक्त स्थानों को, ये घोटालेबाज मोटी रकमें लेकर गैरकानूनी ढंग से पिछली तारीखों में भरने का काम कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक घोटालेबाज़ों की चाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैऔर फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है।

करनाल विजिलेंस ने एचएसवीपी के जेई व पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

करनाल (के सी आर्य) करनाल विजिलेंस ने एच.एस.वी.पी. के जे.ई व पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

सीएम सिटी करनाल तमाम दावों के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। पिछले दो दिन में करनाल की विजिलेंस टीम ने तीन आरोपियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

बुधवार शाम को इसने एचएसवीपी के वभाग के जेई को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए तो निगदू तहसील के पटवारी को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एचएसवीपी विभाग के जूनियर इंजीनियर प्रदुमन को कंप्लीशन सर्टिफिकेट की एवज में शिकायत कर्ता से 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जबकि करनाल के संतनगर निवासी हरमिंद्र को किसान की जमीन की निशानदेही के नाम 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गांव कमालपुरा से गिरफ्तार किया है।

शिकायत पर की कार्रवाई

हरियाणा स्टेट विजिलेंस करनाल के इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एच.एस.वी.पी. करनाल के जूनियर इंजीनियर सेक्टर-13 निवासी प्रदुमन कंप्लीशन सर्टिफिकेट की एवज में रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने पर एक टीम का गठन किया गया और आरोपी प्रदुमन को रंगे हाथों 50 हजार रुपये की रिश्वत के साथ पकड़ लिया गया। वहीं आरोपी के घर की तालाशी होने पर 19 लाख 43 हजार 100 रुपये भी बरामद किए गए हैं।

वहीं इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि इसी तरह कमालपुर निगदू पटवारी हरमिंद्र के खिलाफ भी शिकायत मिली थी कि जमीन की निशानदेही कराने के नाम पर वह पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत मिलने पर भी इंस्पेक्टर सीमा की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी पटवारी संतनगर करनाल का रहने वाला है। इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि मंगलवार को 25 हजार रुपये की रिश्वत के साथ पकड़े गए लाइनमैन को बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

दूध, दही, खोया, मक्खन व आइसक्रीम के सैंपल फेल

करनाल। अगर आप दूध, दही और खोया के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं, यदि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल है तो इन चीजों में मिलावट की जा रही है। करनाल में दूध, दही पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थों के 204 में से 26 सैंपल फेल हो चुके हैं। जिस तेल से आप अपनी दाल सब्जी में तड़का लगाते हैं, वह भी खाने योग्य नहीं है। यह बात करनाल की कई डेयरी और तेल कंपनियों से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट से पता चली है।

मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जिले भर से खाद्य सामग्री के 204 सैंपल लिए गए थे। जिनमें से दूध, दही, खोया, मक्खन देसी घी सहित कई वस्तुओं अन्य सामग्रियों के 26 सैंपल फेल मिले हैं, जबकि 4 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जिन मिलावटखोरों के सैंपल फेल आए हैं, उन पर विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। रोजाना घरेलू उपयोग में आने वाली सामग्री में दूध, दही, खोया, मक्खन, आइसक्रीम, सरसों का तेल, देसी घी सहित 24 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, जो अपने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इससे अलग रसगुल्ले का भी सैंपल फेल आया है, जिसमें घटिया किस्म का रंग प्रयोग किया गया है। नूडल्स मसाला सहित दो सैंपल मिस ब्रांड पाए गए हैं। इसका खुलासा विभाग की ओर से जारी की गई जांच रिपोर्ट में हुआ।

मिलावटी सामग्री सेहत के लिए काफी नुकसानदायक

ष्टस्ह्र डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि खराब गुणवत्ता के दूध व उससे बने खाद्य पदार्थ के सेवन से पेट दर्द, आंतों में इंफेक्शन जैसी कई गंभीर शिकायतें हो सकती हैं। पैकिंग सामग्री खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता व पैकिंग की तिथि व एक्सपायरी डेट सहित जानकारी अवश्य लेनी चाहिए।

सैंपल अनसेफ मिलने पर यह सजा का प्रावधान

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप ने बताया कि सैंपल अनसेफ मिलने पर सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। प्रमाणित होने पर आरोपी को 6 माह से आजीवन कारावास तक हो सकता है। सब-स्टेंडर्ड व मिस ब्रांड पाए जाने पर ष्टष्ट कोर्ट में चालान पेश किए जाएंगे। इसमें 3 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

रिश्वतखोरी की बीमारी से खाद्य सुरक्षा विभाग भी अछूता नहीं है। सैम्पल लेने वाले क्या उसे फेल व पास करने वाले अधिकारी भी इस क्षेत्र में बुरी तरह से ग्रस्त है। जाहिर है ऐसे में फेल होने वाले सैम्पलों को पास कर दिया जाता है तथा पास होने वालों को फेल। इसी के चलते भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत ही विकट है।

25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए लाइनमैन गिरफ्तार

करनाल। तमाम दावों के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। इसी कड़ी में करनाल विजिलेंस टीम ने पुराने मीटर के बकाया बिल को एडजस्ट करने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए लाइनमैन को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम द्वारा आरोपी लाइनमैन से पूछताछ की जा रही है और अगले दिन अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया।

जानकारी के मुताबिक आरोपी सोनू लाइनमैन गांव पनौडी का रहने वाला है और गांव अरायपुरा के सब डिविजन में कार्यरत है। आरोपी लाईनमैन ने बिजली बिल को एडजस्ट करवाने के नाम पर 62 हजार रुपए की मांग की थी लेकिन बाद में 25 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। देर शाम विजिलेंस टीम ने आरोपी को उसके घर गांव पनौडी से पैसे लेते हुए रंगे हाथों काबू किया।

विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिसमें बताया गया कि घरौंडा क्षेत्र में एक प्रापर्टी की खरीद की गई थी। इस पर पहले मीटर लगा हुआ था और वह लगातार बंद पड़ा था। मीटर का बकाया बिल एडजस्ट करने और नया मीटर लगाने के लिए शिकायतकर्ता ने लाइनमैन सोनू से संपर्क किया। आरोप है कि इसके लिए लाइनमैन की ओर से पहले 62 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता द्वारा इतनी रकम देने में असमर्थता जताने पर सौदा 25 हजार में तय हो गया था।